

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर  
पत्रांक- 2135/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक नवम्बर, 19-2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।

विषय:- Regularization of 555.759 ha of diverted forest land for the construction of Rihand Super Thermal Power Project under Renukoot Forest Division in Sonebhora district of Uttar Pradesh (Online Proposal No.FP/UP/THERMAL/36097/2018)

संदर्भ:- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज नई दिल्ली का पत्रांक-8-412/1989-एफ0सी0(वालूम-1।।) दिनांक- 02.08.2024.  
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-329/11-सी FP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-02.08.2024.  
3-आपका पत्र संख्या-1606/रेनुकूट/15-6 दिनांक 12.11.2024

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 02.08.2024 द्वारा मॉगी गयी बिन्दुवार वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में आपने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-1606/रेनुकूट/15-6 दिनांक 12.11.2024 द्वारा बिन्दु संख्या- (i) (ii) (iii) (iv) (vi) (vii) (viii) (x) एक साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी अभिलेखों को अपनी सहमति व्यक्त करते हुए संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जो तथ्यपरक आख्या नहीं है।

अतः भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 02.08.2024 में उल्लिखित बिन्दु की बिन्दुवार सुस्पष्ट आख्या अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में आवश्यक अग्रतर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)  
मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।